



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादान/2017-18/9495

जयपुर, दिनांक: २२/१/१८

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-समस्त।

विषय:-14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार सूचना बाबत।

प्रसंग:-विभागीय पत्र क्रमांक एफ. 165 (13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादन/2017-18/9242 दिनांक 12.01.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय संशोधित दिशा-निर्देशों के क्रम में लेख है कि दिनांक 19.01.2018 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की विडियो कॉन्फ्रेंस से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 31.01.2018 तक निष्पादन अनुदान की ग्राम पंचायतवार सूचना भारत सरकार को भिजवाया जाना है। इसी क्रम में विभाग द्वारा आयोजित दिनांक 22.01.2018 की विडियो कॉन्फ्रेंस में भी आपको अवगत करवा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वां वित्त आयोग अन्तर्गत निष्पादन अनुदान राशि के ग्राम पंचायतवार दावे के लिए आपकी क्षेत्राधिकार वाली ग्राम पंचायतों की सूचना संलग्न निर्धारित परिशिष्ट-4 में दिनांक 31.01.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

निर्धारित दिनांक 31.01.2018 तक ग्राम पंचायतवार निष्पादन अनुदान की सूची प्रेषित नहीं करने पर 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत निष्पादन अनुदान की राशि अप्राप्ति हेतु आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

— ६० —
(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादान/2017-18/9495

जयपुर, दिनांक: 22/1/18

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय - 5) विभाग, जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त दिशा निर्देशों की प्रति आपके अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), मुख्यालय।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

(रामावतार शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

जिला परिषद.....

14वां वित्त आयोग अन्तर्गत निष्पादन अनुदान के दावों की ग्राम पंचायतवार सूचना

(दावावर्ष 2017-18)

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	पात्रता की अनिवार्य शर्तों की स्थिति						ग्राम पंचायत के मूल्यांकन की स्थिति	
				क्या अंकोक्षित है? *	खर्च लेखे	क्या आय में वृद्धि हुई है? *	क्या अपलोड है? *	क्या GPPD	क्या सेक्टरवार व्यय प्रदर्शित है? *	ग्राम पंचायत के कुल प्राप्तांक **	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

मुख्य लेखाधिकारी / व0 लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला परिषद.....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद.....

* विभागीय आदेश क्रमांक 9242 दिनांक 12.01.2017 (भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.09.2017 एवं 24.11.2017 के संदर्भ में) केवल "पात्र" अथवा "अपात्र" अंकित करना है।

** विभागीय आदेश क्रमांक 9242 दिनांक 12.01.2017 के बिन्दु संख्या 2 "निष्पादन अनुदान के लिए मूल्यांकन" के अनुसार प्राप्त अंकों के योग (100 में से प्राप्तांक) दर्शाना है।